

mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषय बोर्ड  
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./एबीआईएस एक्स.इंडिया/729/578 ओपाल, दिनांक 21/10/2024  
प्रति,

**ABIS EXPORTS (INDIA) PVT. LTD**

**Regional Office-** IB Corporate House, Village-Indamara,  
Post-Pendri, Rajnandgaon,  
Chhattisgarh, India-491441

**Local Office-** Survey No. 104/2, 104/3 and 106/1/1,  
Village-Kheraws, Tehsil-Badnawar,  
District-Dhar (M.P.)  
GSTIN - 23AACCA2881J3ZQ

**दिक्षित -** मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुजप्ति  
नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुजप्ति के संदर्भ में।  
**संदर्भ -** आपका आवेदन दिनांक 05.08.2024

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को थारा 32-क के अधीन जिनिह नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुजप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के तहत विशेष अनुजप्ति स्वीकृति हेतु ABIS EXPORTS (INDIA) PVT. LTD से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से निम्न विनिर्दिष्ट मंडियों के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज "तिलहन", "धान्य तथा दलहन" का कारोबार करने हेतु क्रय केन्द्र स्थापना की अनुमति हेतु दिक्षित अनुजप्ति स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है-

क्र.	मंडी सभिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	खरगोन	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
2	राजगढ (धार)	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
3	धार	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
4	उज्जैन	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
5	शाजापुर	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
6	महिदपुर	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
7	आगर-मालवा	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"

8	रत्नाम	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
9	जावरा	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"
10	बड़नगर	"तिलहन" "धान्य तथा दलहन"

3. आवेदन पर विचारोपरांत ABIS EXPORTS (INDIA) PVT. LTD. को नियम 2009 के तहत उक्त विंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुजस्ति स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। विशेष अनुजस्ति प्रमाण पत्र एवं संलग्नक प्रसारित किया जा रहा है। संलग्नक में अनुमोदित क्रय केंद्रों की सूची संलग्न है जोकि उक्त विशेष अनुजस्ति का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की व्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/ एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।

5. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(एम. सेलवेन्ड्रन)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड  
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./एबीआईएस एक्स.इंडिया/729/579 भोपाल, दिनांक 21/10/2024

प्रतिलिपि:-

✓ 1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय \_\_\_\_\_ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुजस्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।

✓ 2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुजस्तिधारी ABIS EXPORTS (INDIA) PVT. LTD. भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुजस्ति की ई-अनुज्ञा पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि की जाए।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड  
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय  
 किसान भवन, 26, अस्सा हिल्स, ओपाल  
 प्ररूप - तीन  
 (नियम 9 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारबाह के लिए विशेष  
 अनुज्ञासि

विशेष अनुज्ञासि क्रमांक/एस.एल./2024/\_\_\_\_\_

दिनांक 21/10/2024

श्री/श्रीमती/कुमारी/मेरास **ABIS EXPORTS (INDIA) PVT. LTD**, IB Corporate House,  
 Village-Indamara, Post-Pendri, Rajnandgaon, Chhattisgarh, India-491441 स्थानीय पता  
 - ABIS EXPORTS (INDIA) PVT. LTD. Survey No. 104/2, 104/3 and 106/1/1,  
 Village-Kheraws, Tehsil-Badnawar, District-Dhar (M.P.) को अधिनियम की धारा 32-के  
 अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबाह हेतु तारीख  
 ..... माह..... वर्ष 2024 तक विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत की जाती है :-

अनु. क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबाह हेतु विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबाह हेतु अनुज्ञासि प्रदान की गई है।	मंबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबाह का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
संलग्न सूची - परिशिष्ट - 1 अनुसार.						

2. इस अनुज्ञासि के अधीन अनुज्ञासिधारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केंद्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे :-

अनु. क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा {मीट्रिक टन से (नियम 4 (2) देखिए)}
1	तिलहन	2000 मीट्रिक टन
2	धान्य तथा दलहन	2000 मीट्रिक टन

3. अनुज्ञासिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञासि के द्वारा जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केंद्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा :-

(एक) इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज

- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था  
 (तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था  
 (चार) पुरुष/महिला के लिए शौचालय की सुविधा  
 (पांच) शेड की व्यवस्था  
 (छह) कृषकों के लिए छायादार विश्राम स्थल  
 (सात) भुगतान काउंटर  
 (आठ) ट्रेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था  
 (नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिए उपकरण तथा मानव शक्ति  
 (दस) प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काइन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना  
 (ग्यारह) क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण.

एक्सचेंज अनुज्ञसिधारक के मामले में -

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म  
 (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.  
 (तीन) सुपुर्दग्गी केंद्र

विनिर्दिष्ट क्रय केंद्रों में से किसी क्रय केंद्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सुलित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिए दूरी गई अनंतिम विशेष अनुज्ञसि को ऐसे क्रय केंद्र के लिए आगामी वर्षों के लिए नियमित नहीं किया जाएगा.

4. यह विशेष अनुज्ञसि दिनांक 21/10/2024 से 20/10/2025 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

5. यह अनंतिम अनुज्ञसि निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :-

- (एक) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.  
 (दो) मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.  
 (तीन) मंडी फीस का अपंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मंडी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाए जाने पर.  
 (चार) मंडी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाए जाने पर.  
 (पांच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर.  
 (छ) बोर्ड, मंडी समिति से जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाए जाने पर.  
 (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किए जाने पर.

अनुज्ञसि जारीकर्ता कार्यालय की मोहर



अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

अधिसूचित विवरणियों बोर्ड

प्रबंध संचालिति

न.प्र. राज्य कृषि विवरण बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)

## ABIS EXPORTS (INDIA) PVT. LTD

Regional Office- IB Corporate House, Village-Indamara,  
Post-Pendri, Rajnandgaon,  
Chhattisgarh, India-491441

Local Office- Survey No. 104/2, 104/3 and 106/1/1,  
Village-Kheraws, Tehsil-Badnawar,  
District-Dhar (M.P.)

GSTIN - 23AACCA2881J3ZQ

विशेष अनुज्ञाप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/ \_\_\_\_\_ दिनांक 21/10/2024

वैधता अवधि - दिनांक 21/10/2025 तक

क्रय केन्द्र सूची

अनु. क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का जाति जिल्हे कारबार हेतु विशेष अनुज्ञाप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	दिनिर्दिष्ट मंडी हेतु इस लाइसेंस जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञाप्त प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी सन्निति का नाम	दिनिर्दिष्ट अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का वर्णन	कार्यालय सम्बुद्ध का स्थान, वर्द्धान रखे फटा
1	2	3	4	5	6	7
1	"तिलहन/ धान्य दलहन"	खरगोन	खरगोन	-	-	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.ज़.- 9109125876
2	"तिलहन/ धान्य दलहन"	राजगढ (धार)	राजगढ (धार)	-	-	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.ज़.- 9109125876
3	"तिलहन/ धान्य दलहन"	धार	धार	-	-	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.ज़.- 9109125876
4	"तिलहन/ धान्य दलहन"	उज्जैन	उज्जैन	-	-	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.ज़.- 9109125876

5	"तिलहन/ धान्य दलहन"	शाजापुर	शाजापुर	-	.	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.नं.- 9109125876
6	"तिलहन/ धान्य दलहन"	महिदपुर	महिदपुर	-	.	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.नं.- 9109125876
7	"तिलहन/ धान्य दलहन"	आगर-मालवा	आगर-मालवा	-	.	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.नं.- 9109125876
8	"तिलहन/ धान्य दलहन"	रतलाम	रतलाम	-	.	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.नं.- 9109125876
9	"तिलहन/ धान्य दलहन"	जावरा	जावरा	-	.	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.नं.- 9109125876
10	"तिलहन/ धान्य दलहन"	बड़नगर	बड़नगर	-	.	Shri Nirmal Singh Sandhu मो.नं.- 9109125876

  
 प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
 म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 अधिसूचक भौमाल  
 भूरेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 भूरेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 भूरेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 भूरेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

